HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4464/2026
CNR: RJHC010350812026
URN: CRLMB / 10159U / 2026

Man Singh S/o Pushp Singh, aged about 30 years, resident of Hudas, Police Station Nimbi Jodha, Tehsil Ladnun, District Deedwana Kuchaman.
(At Present Lodged In Sub Jail, Parbatsar)

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajiv Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP with Mr. Om Prakash Choudhary Mr. R.S. Choudhary

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

Arguments Concluded on 10/07/2026

Order Reserved on 10/07/2026

Full order Pronounced

Date of Pronouncement 17/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **निम्बी जोधा, जिला डीडवाना–कुचामन** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **30/2026,** अपराध अन्तर्गत **धारा 85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार–पाँच लाख रूपये मांगने का आरोप लगाया है, जिस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि रकम उधार दी गई थी जिसके संबंध में 12300/–, 12500/– अलग–अलग समय में अलग–अलग राशि अपने ससुर के फोन नंबर पर

फोन पे के जरिये प्रतिमाह अदा की गई हैं। पूर्व में अप्राकृतिक मृत्यु की रिपोर्ट के समय प्रार्थी/अभियुक्त पर दहेज की मांग का आरोप नहीं लगाया गया और कोई सुसाईड नोट मृतका द्वारा नहीं लिखा गया। प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

04. विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि लोन के अलावा भी कुछ राशि प्रार्थी/अभियुक्त को दी गई थी, जो राशि रफीक खां से उधार लेकर व कुछ अपने पास से दी थी, जिसका उल्लेख रफीक खां के बयान से ही स्पष्ट है और इस मामले में मृतका का भाई व मृतका की मौसी व मुस्तगीस के बयानों में स्पष्ट रूप से दहेज के लिए तंग परेशान करने का आरोप लगाया गया है साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के अवैध संबंध अन्य महिला के साथ होना मृतका द्वारा बताया गया था। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के शीघ्र पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के सदस्यों द्वारा गाड़ी लेकर मुस्तगीस के घर आकर घरवालों को धमकी दी कि निम्बी जोधा के मुकदमें का राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हारा हम सर्वनाश कर देंगे। ऐसी स्थिति में यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो मुस्तगीस व मुस्तगीस के परिवार वालों को धमकाया जायेगा। इस आधार पर जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच के दौरान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनू के समक्ष मुस्तगीस की ओर से आवेदन देने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर हुआ है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो आधार मुख्य रूप से लिये गये हैं। प्रथम आधार प्रार्थी/अभियुक्त के अवैध संबंध किसी अन्य महिला के साथ चल रहा था, दूसरा आधार यह लिया गया कि उसका पति और सास द्वारा लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उससे दहेज में चार–पाँच लाख रूपये एवं सामान लाने की मांग की जाती थी। पैसे नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। इस संबंध में गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस का अवलोकन किया। गवाह श्रीमती ममता कंवर ने यह कहा है कि अन्नपूर्णा साक्षी के मामा की बहन है। विक्रमसिंह मामा लगते हैं। अन्नपूर्णा की शादी मानसिंह के साथ हुई थी। अन्नपूर्णा जब मिलती थी तब कहती थी कि उसका पति रूपयों की मांग करता है तथा कुछ रूपये दे दिये फिर भी रूपयों की मांग कर तंग परेशान करता है।

06. गवाह हरीराम जो कि विक्रमसिंह का पड़ौसी है जिसने यह बताया कि अन्नपूर्णा की शादी मानसिंह के साथ बीकानेर में की गई। अन्नपूर्णा अपने पीहर में आती थी तब बताती थी कि उसका पति रूपयों की मांग कर तंग परेशान करता है। दो–तीन साल पहले मानसिंह को विक्रमसिंह ने कुछ नकद रूपये दिये थे फिर भी मानसिंह और रूपयों की मांग कर अन्नपूर्णा को प्रताड़ित कर तंग परेशान करता है। गवाह श्रीमती उगमकंवर ने यह बताया है कि अन्नपूर्णा ने बताया था कि उसका पति किसी दूसरी औरत से बात करता है, इसी बात को लेकर उनके आपस में विवाद था। गवाह भीखूसिंह ने अपने बयान में कहा है कि विक्रमसिंह जब भी हमारे पास आते तो बताते कि अन्नपूर्णा को उसका पति रूपयों की मांग कर तंग परेशान करता है। विक्रमसिंह ने बताया कि उसने मानसिंह को आठ लाख रूपये दे दिये, जिसके बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहे उसके बाद फिर अन्नपूर्णा को रूपयों के लिए तंग परेशान करने लग गया। अन्नपूर्णा ने साक्षी को बताया कि उसका पति दूसरी लड़की से फोन पर बात करता है। जिस पर साक्षी ने भी मानसिंह को समझाईस की थी।

07. गवाह विक्रमसिंह मुस्तगीस ने यह बताया कि उसकी पुत्री अन्नपूर्णा कंवर की शादी दिनांक 12.11.2019 को मानसिंह के साथ की थी। हैसियत के अनुसार दहेज दान उपहार स्वरूप दिये थे। शादी के बाद साक्षी की पुत्री ससुराल आने–जाने लगी इसी दौरान पुत्री के एक पुत्र पैदा हुआ। शादी के दो साल बाद ही रूपयों की मांग कर तंग परेशान करना शुरू कर दिया। साक्षी को उसकी पुत्री ने यह बात बताई। वर्ष 2021 में पुत्री आई और रूपयों की मांग के लिए तंग परेशान करना बताया तब साक्षी ने 2022 में पट्टे पर एस.के. फाईनेंश से लोन लिया और जवांई को चार लाख रूपये ऑन लाईन पेमेंन्ट कर दिया, कुछ दिन तक तो ठीक रहा, उसके कुछ दिन बाद चार लाख पचास हजार रूपये नगद दिये। उसका जवांई उसकी पुत्री को बीकानेर से हुडास लेकर गया। उसकी पुत्री जाना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि पति किसी दूसरी लड़की से बात करता है।

08. इस मामले में गवाह श्रीमती मंजू कंवर ने अपने बयान में अन्नपूर्णा कंवर को अपनी भान्जी होना बताया और बताया कि दिनांक 02.03.2026 सोमवार को अन्नपूर्णा ससुराल जा रही थी तब वह काफी उदास थी। उस दिन वह साक्षिया के पास आई थी तब साक्षिया ने उससे कहा था कि आज सोमवार सूनावार है सुबह मंगलवार को चली जाना तब उसने कहा कि वह आज ही जायेगी। गवाह ने उसकी उदासी का कारण पूछा तब उसने बताया कि उसका पति किसी दूसरी लड़की से बातचीत करता है। कई बार अन्नपूर्णा कहती थी कि उसका पति रूपयों की मांगता है, परेशान करता है। मृतका के भाई शेर सिंह ने अपने 180 बीएनएसएस के बयान में यह बताया है कि बहन की शादी के दो साल बाद उसके बहनोई मानसिंह ने तंग परेशान करना शुरू कर दिया।

जब भी बहन गांव आती तो बताती कि उसका पति रूपयों की मांग करता है। वर्ष 2021 में साक्षी के बहनोई को साक्षी के पिता ने साढ़े आठ लाख रूपये दिये जिसमें एसके फाईनेंश का लोन और ढ़ाई लाख रूपये जिस फैक्ट्री में वे काम करते थे वहां से लिये और कुछ रूपये उनके पास नकद थे वे दिये। रूपये चार लाख ऑन लाईन पिता ने बहनोई को दिये और साढ़े चार लाख नकद दिये। बहन ने बताया कि उसका पति दूसरी लड़की से बात करता है।

09. इस मामले में मृतका द्वारा स्वयं के पति का दूसरी लड़की से बातचीत करने का व दहेज की मांग करने का काफी व्यक्तियों को बताया, जिनके बयान पुलिस द्वारा लिये गये हैं। विचारण के दौरान इन गवाहान के बयान होना शेष है। उपरोक्त के अलावा मुस्तगीस पक्ष की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना मुक्ताप्रसादनगर जिला बीकानेर के समक्ष लिखित दरख्वास्त पेश कर प्रार्थी/अभियुक्त के पिता व उसके परिवारजन द्वारा मुकदमें में राजीनामे को लेकर धमकाने का आरोप लगाया है। जिस बाबत रिपोर्ट पेश किये जाने पर थानाधिकारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर, बीकानेर में इस्तगासा पेश किया गया जो 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पेश किया गया। जिसकी फर्द अहकाम दिनांक 04.05.2026 व इस्तगासा की प्रति एवं दरख्वास्त तथा जांच रिपोर्ट पत्रावली में दौराने बहस पेश की गई है। ऐसी अवस्था में इस स्टेज पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

10. तदनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

69/SN Lohra/336